



शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड नोटिस

प्रत्येक सौ सिक्कों के पाउच/पाउच में सिक्कों का बिना किसी मूल्य के आदान-प्रदान किया जाता है।

कटे-फटे/गंदे नोट यहां स्वीकार किए जाते हैं और बदले जाते हैं।

1. भारतीय रिजर्व बैंक (नोट रिफंड) नियम 2009 के तहत एक्सचेंज के लिए यहां कटे-फटे नोट स्वीकार किए जाते हैं।
2. विनिमय मूल्य, यदि कोई हो, उसी दिन एकत्र किया जाना चाहिए।
3. जिन नोटों पर विनिमय मूल्य देय नहीं है, वे हमारे द्वारा रखे जाएंगे।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में कृपया शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के नोट रिफंड (संशोधन) नियम, 2018 के तहत सभी नोट बदले जाएंगे। नीचे दिए गए लिंक पर आरबीआई की साइट से इसे एक्सेस किया जा सकता है।

<https://m.rbi.org.in/scripts/OccasionalPublications.aspx?head=RBI%20-%20Note%20Refund%20Rules>